न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी–श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या– 68/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2024/126

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
ए.यू. स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, 19–ए, झुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर–302001।		1. नरेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री गोविन्द लाल, भोप जी की गली, पुरानी मण्डी, कुचामन सिटी। 2. शम्भु कुमार अग्रवाल पुत्र श्री गोविन्द लाल, भोप जी की गली, पुरानी मण्डी, कुचामन सिटी। 3. श्रीमति सपना अग्रवाल पत्नी नरेश कुमार, भोप जी की गली, पुरानी मण्डी, कुचामन सिटी। 4. सुरेन्द्र सिंह पुत्र मोहन सिंह, अड़ानी परबतसर जिला डीडवाना–कुचामन।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित :–

1. श्री शिव प्रकाश शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

–ःआदेशः–

दिनांक : 19.05.2025

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ। जो दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ऋणी को रूपये 3000000/–**(अक्षरे तीस लाख रूपये मात्र) दिनांक 04.11.2015** को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में **सम्पति– सम्पति संख्या (1) जो वार्ड नम्बर 16, भोप जी वालों की गली, धानमण्डी, कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन, एवं ढांचा आदि जो सम्पति के अभिन्न अंग है जो नरेश कुमार अग्रवाल पुत्र गोविन्दलाल व श्रीमति सपना देवी पत्नी नरेश कुमार अग्रवाल द्वारा धारित है। जिसका माप 290.05 वर्गगज है तथा आस पडौस निम्न है– उत्तर में :– रास्ता, दक्षिण में :– श्री रामप्रसाद भोपजी वालों का मकान, पूर्व मेंः– गली नम्बर 10, पश्चिम मेंः– मार्केट व दुकाने धान मण्डी की, सम्पति– सम्पति संख्या (2) जो वार्ड नम्बर 18, भोप जी वालों की गली, धानमण्डी, कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन, एवं ढांचा आदि जो सम्पति के अभिन्न अंग है जो श्रीमति सपना देवी पत्नी नरेश कुमार अग्रवाल द्वारा धारित है। जिसका माप 625 वर्गफुट है तथा आस पडौस निम्न है– उत्तर में :– [illegible]लाल का मकान, दक्षिण में :– पहाड़ीयों की गली, पूर्व मेंः– श्री रामेश्वरलाल हलवाई का [illegible] पश्चिम**

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.06.23 14:25:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन सत्यमेव जयते

मेंः– हनुमान प्रसाद का मकान व आम रास्ता, जो प्रार्थी बैक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एंवं जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये ।

अप्रार्थीगण / ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैक के नियमानुसार भुगतान नही चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को **दिनांक 08.11.2023** को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी / ऋणी के ऋण खाते में **रूपये 1848111 / –(अक्षरे अठारह लाख अड़तालीस हजार एक सौ ग्यारह रूपये मात्र) दिनांक 10.11.2023 तक शेष देय व दिनांक 10.11.2023 से आगे का ब्याज व खर्चे सहित राशि का भुगतान** बकाया निकलते है।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक ने ऋणी / अप्रार्थी को **दिनांक 14.05.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर–अन्दर ऋण राशि **रूपये 1848111 / –(अक्षरे अठारह लाख अड़तालीस हजार एक सौ ग्यारह रूपये मात्र) दिनांक 10.11.2023 तक शेष देय व दिनांक 10.11.2023 से आगे का ब्याज व खर्चे सहित राशि का भुगतान** को जमा कराना था, परन्तु ऋणी / अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया हैं।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक को बंधक सम्पति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी / जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी / अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैक से रूपये **3000000 / –(अक्षरे तीस लाख रूपये मात्र) दिनांक 08.11.2023** को प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार हैः– प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा,और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर –(क) उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमो को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानो को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी को पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते है। प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक डीडवाना–कुचामन को निर्देश दिये जाते है कि अप्रार्थी / ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष मे बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व मे **सम्पति– सम्पति संख्या (1) जो वार्ड**

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.06.23 14:25:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन सत्यमेव जयते

नम्बर 16, भोप जी वालों की गली, धानमण्डी, कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन, एवं ढांचा आदि जो सम्पति के अभिन्न अंग है जो नरेश कुमार अग्रवाल पुत्र गोविन्दलाल व श्रीमति सपना देवी पत्नी नरेश कुमार अग्रवाल द्वारा धारित है। जिसका माप 290.05 वर्गगज है तथा आस पडौस निम्न है– उत्तर में :– रास्ता, दक्षिण में :– श्री रामप्रसाद भोपजी वालों का मकान, पूर्व में:– गली नम्बर 10, पश्चिम में:– मार्केट व दुकाने धान मण्डी की, सम्पति– सम्पति संख्या (2) जो वार्ड नम्बर 18, भोप जी वालों की गली, धानमण्डी, कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन, एवं ढांचा आदि जो सम्पति के अभिन्न अंग है जो श्रीमति सपना देवी पत्नी नरेश कुमार अग्रवाल द्वारा धारित है। जिसका माप 625 वर्गफुट है तथा आस पडौस निम्न है– उत्तर में :– गोविन्दलाल का मकान, दक्षिण में :– पहाड़ीयों की गली, पूर्व में:– श्री रामेश्वरलाल हलवाई का मकान, पश्चिम में:– हनुमान प्रसाद का मकान व आम रास्ता, स्थित है, जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैक के हक मे बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध मे संबधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे मे हो तो उन दस्तावेजो को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 19.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सेन, IAS)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.06.23 14:25:45 IST
Reason: SelfAttested